

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अर्न्तगत उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।


सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण के निर्माण हेतु संरेखण पर वृक्ष खडे मौजूद हैं, जिनकी गणना प्रस्तावक विभाग वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण के समय की जा चुकी हैं। अतः शा.सं. 866/X -3/2011 /8 (21) / 2010 दिनांक 28.9.2011 तथा 883/ X-3/ 2011/8 (21)/2010दिनांक 4.1.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल/वन पंचायती भूमि राजस्व अभिलेख ज.वि.र. खतौनी के श्रेणी 9 (3) ख, ग व ड में दर्ज कागजात है। एवं वन भूमि में वृक्ष खडे होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।



अमीन



पटवारी


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.कर्णप्रयाग


जिला अधिकारी
कर्णप्रयाग


उप जिला अधिकारी
कर्णप्रयाग


अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि
कर्णप्रयाग


वन विभागाधिकारी
कर्णप्रयाग रज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
67